

UPSC 2020



भारत का संविधान

ऐसे नोट्स पढ़ें तब होगा **EXAM CRACK**

UPSC, UPPSC, BEO, UPSSSC, MPPSC,
BPSC, RAS, SSC, BANK, RAILWAY, SI,
POLICE, SUPER TET, CTET, TET, ETC

वाट्स अप ग्रुप से
जुड़ने के लिए
"UPSC699"
लिख कर वाट्स अप
करें 9455918439
शुल्क लागू

- ⇒ 1773 ई० का रेगुलेशन एक्ट :- इसके द्वारा केन्द्रिय प्रशासन की नींव रखी गई।
- ⇒ विशेषतः इस एक्ट को तहत बने वाले प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
- ⇒ इस अधिनियम के अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके प्रथम न्यायाधीश सर विलियम इम्पे थे।
- ⇒ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 :- कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया।
- ⇒ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट :- दोहरे प्रशासन का प्रारम्भ किया गया।
- (i) कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए
(ii) बोर्ड ऑफ कंट्रोल - राजनीतिक मामलों के लिए
- ⇒ 1793 का चार्टर अधिनियम :- इसके द्वारा सदस्यो तथा कर्मचारियों के वेतनादि नियन्त्रण बोर्ड के राजस्व में देने की व्यवस्था की गई।



1813 का चार्टर अधिनियम :-

- (1) कम्पनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

1833 का चार्टर अधिनियम :- इसके द्वारा कम्पनी के पूर्णतः समाप्त कर दिये गये हैं। व्यापारिक अधिकार

1853 ई० का चार्टर अधिनियम :- इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में लाभजदगी का सिद्धान्त समाप्त कर कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परिक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई।

1858 ई० का चार्टर अधिनियम :- भारत का शासन कम्पनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। (ii) भारत में मन्त्री पर की व्यवस्था की गई।

इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड आफ कन्ट्रोल को समाप्त कर दिया गया।

⇒ भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल वायसरॉय कर दिया गया।

1861 ई० का भारत शासन अधिनियम :-

⇒ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया।

⇒ विभागीय प्रणाली का प्रारम्भ

1873 का अधिनियम :- इस अधिनियम के द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1804 को ईस्ट इंडिया कम्पनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।

⇒ शाही उपाधि अधिनियम :- गर्विर जनरल की केन्द्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्त कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, 20 अप्रैल 1876 को स्कट घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया।

⇒ 1892 का भारत शासन अधिनियम :- अल्पसंख्यक-चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई।

⇒ 1909 ई० का भारत शासन अधिनियम :- (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

पहली बार मुसलिम समुदाय के लिए प्रत्येक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया। इसके अन्तर्गत मुसलिम सदस्यों का चुनाव मुसलिम मतदाता ही कर सकते थे। 5

⇒ इस प्रकार इस अधिनियम की नै सांप्रदायिता को वैधानिक प्रदान की। और लॉर्ड मिंटो को साम्प्रदायिक निवर्चित के जनक के रूप में जाना गया।

⇒ 1919 का भारत शासन अधिनियम :- (मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार)

केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। में 104 निवर्चित तथा 41 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 8 वर्ष का था।



प्रान्तो मे द्विशासन द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रान्तीय विषयो को ३ उपसर्गो मे बाँटा गया।

1. आरक्षित 2. हस्तान्तरित

आरक्षित विषय :- विल, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय पेशन अपराधिक जतियाँ छापरखाना समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग; कारखाना, बिजली गैस वायलर, धार्मिक कल्याण, औधोगिक विवाद, छोटे बन्दरगाह और, सार्वजनिक सेवारे आदि थे।

2. हस्तान्तरित :- शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता

(ii) सार्वजनिक निमणि विभाग (iii) आवकारी, तेल तथा भाप सार्वजनिक मनोरंजन पर नियन्त्रण धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि।

(iv) द्वैध शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया।

इस अधिनियम ने भारत मे एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया।

⇒ प्रान्तो मे द्वैध शासन के जनक 'लियोनस कार्टियस' थे।

⇒ माग्लेगु चेम्सफोर्ड सुधार (भारत शासन अधिनियम) - 1919 द्वारा भारत मे पहली बार महिलाओ को वोट देने का अधिकार मिला।

⇒ 1935 का भारत शासन अधिनियम - १ 1935 ई० के अधिनियम मे 451 धाराएँ और 15 परिशिष्ठ थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

1. अखिल भारतीय संघ - यह संघ 12 ब्रिटिश प्रान्तों, 6 चीफ कमीशनर के ६ क्षेत्र और 31 देशी रियासतो से मिलकर बना है।



2- प्रान्तीय स्वायत्तता :-

3- केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना :-

4- संघीय न्यायालय की व्यवस्था :-

5- ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता :-

6- भारत परिषद का अन्त :-

7- साम्प्रायिक निवर्चन पद्धति का विस्तार

8- इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था

9- इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उसको इंग्लैण्ड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया और बसो बरार के मध्य प्रान्त में शामिल कर दिया गया।

⇒ 1947 का भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम :- ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 के भारतीय इस अधिनियम में 20 धाराएँ थी।

ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को स्वतन्त्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया।



Dev Singh :- भारतीय संविधान सभा :-

- ⇒ कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया करने वाली संविधान सभा का गठन, 1946 ई० में किया गया।
- ⇒ संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्दिष्ट की गई। जिसमें 292 विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि 4-चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
- ⇒ मिशन योजना के अनुसार जुलाई, 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रान्तों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस के लिए 208 मुसलिम लीग 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए।
- ⇒ 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डा० सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का ठास्थायी सदस्य चुना गया।
- ⇒ संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी।



- ⇒ 11 दिसम्बर 1946 को डा० राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए।
- ⇒ संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारम्भ की गई। Dev Singh
- ⇒ 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियाँ नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी। — तात्कालिक समिति, संघ संविधान, प्रांतीय संविधान, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति।
- ⇒ बी० एन० राव द्वारा तैयार किये संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डा० भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 4 थी। जो इस प्रकार हैं — डा० भीमराव अम्बेडकर 2- एन गोपाल स्वामी अयंगर 3- अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 4- कन्हैयालाल मुन्शी 5- सैयद मो० सदुल्ला 6- एन माधव राव 7- पी० वी खेतान
- ⇒ संविधान सभा में अम्बेडकर का निवर्चन प० बंगाल में हुआ
- ⇒ 3 जून 1947 ई० की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। जिसमें 235 स्थान स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे।
- ⇒ देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया।
- = 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया।



- ⇒ संविधान सभा की निम्नि प्रक्रिया मे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।
- ⇒ इसमे कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचिया थी वर्तमान मे 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचिया हो गई।
- ⇒ संविधान मे कुल अनुच्छेदो मे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदो को परिवर्तित कर दिया गया।
- = जबकि शेष अनुच्छेदो को 26 जनवरी 1950 ई० को लागू किया गया।
- ⇒ कबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लार्ड पैथिक लारेन्स तथा ए० बी० स्लेक्जेण्डर थे।
- : संविधान सभा की उद्देशिका अथवा प्रस्ताव

उद्देश्य संकल्प :- हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली कंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ई०

“मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्बत दो हजार दह विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं।”

⇒ संविधान की प्रस्तावना, को 'संविधान की कुंजी', कहा जाता है।

⇒ केशवानन्द भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढाँचा का सिद्धान्त (Theory of Basic Structure) दिया। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढाँचा माना।

भारतीय

डा० भीम राव अम्बेडकर - प्रारूप समिति



—: भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत :-

1. —: संयुक्त राज्य अमेरिका :-

- * मौलिक अधिकार
- * न्यायिक पुनरावलोकन
- * संविधान की सर्वोच्चता
- * न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- * निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग
- * उपराष्ट्रपति
- * उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधारों को हटाने की विधि - निमणि प्रक्रिया।



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

2. —: ब्रिटेन :-

- * संसदात्मक शासन प्रणाली
- * एकल नागरिकता एवं विधि-निमणि प्रक्रिया
- *

3. —: आयरलैंड :-

- * नीति-निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में सहित्य

—: आस्ट्रेलिया —



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

आस्ट्रेलिया

- प्रस्तावना की भाषा
- समवर्ती सूची का प्रावधान
- केन्द्र एवं राज्य के बीच सम्बन्ध तथा शक्तियों का विभाजन
- संसदीय विशेषाधिकार

—: जर्मनी —

जर्मनी

- आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार सम्बन्धी शक्तियाँ

—: कनाडा —

कनाडा

- संघात्मक विशेषताएँ
- अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास
- राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया
- संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन

—: दक्षिण अफ्रीका :-

दक्षिण अफ्रीका



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

→ संविधान संसोधन की प्रक्रिया का प्रावधान

—: रूस :-

रूस :-

→ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान

—: जापान :-

जापान :-

→ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

* भारतीय संविधान पर सबसे प्रभाव 'भारतीय शासन अधिनियम ' 1935 ' का है।

—: भारतीय संविधान की

अनुसूची :-

⇒ * प्रथम अनुसूची :-



Dev Singh Educational Hub

9455918439 Success is Tradition

* → इसमें भारतीय संघ के छह राज्यों (२८ राज्य) एवं संघ शासित (सात) क्षेत्रों का उल्लेख

⇒ * द्वितीय अनुसूची :-

→ भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

* भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त

* होने वाले वेतन

* भत्ते और वेतन, पेन्सन आदि का उल्लेख

तृतीय अनुसूची :-

→ इसमें विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मंत्री उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख

⇒ चौथी अनुसूची :-



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

→ इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण

⇒ पाँचवी अनुसूची :-

→ * इसमें अनुसूचित क्षेत्रों

* अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और

* नियंत्रण के बारे में उल्लेख

⇒ छठी अनुसूची :-

→ * इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम और राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रवाधान

⇒ सातवी अनुसूची :-

→ केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में

* अन्तर्गत तीन सूचियाँ हैं।

* संघ सूची

* राज्य सूची

* समवर्ती

(I) संघ सूची :-



Dev Singh Educational Hub

9455918439 Success is Tradition

* इस सूची में दिए गये विषय पर केन्द्र सरकार कानून बनाती है।

* संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे।

(ii) राज्य सूची :-

* विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है।
* संविधान के अन्तर्गत इसके लागू इसके अन्तर्गत 66 विषय थे।

(iii) सम्बन्धी सूची :-

* इसके अन्तर्गत दिये गये विषय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है।
* इसके अन्तर्गत 41 विषय थे।

* सम्बन्धी सूची का प्रावधान जम्मू - कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में नहीं है।

आठवी अनुसूची :-



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

- * इसमें भारत की २२ भाषाओं का उल्लेख
- * मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं।
- * 1967 में सिंधी
- * 1992 में कोकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को
- * आठवी अनुसूची में शामिल किया गया।
- * 92वें संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली
- * डोगरी और बोडो को आठवी अनुसूची में शामिल

नौवी अनुसूची :-

- * प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई।
- * इसके द्वारा राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया।
- * वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं।

दसवी अनुसूची :-



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

→ * यह संविधान में 52 वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई।

* इसमें दल बदल से सम्बंधित प्रावधान है।

ग्यारवी अनुसूची :-

→ * 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी

* इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गये हैं।

बारहवी अनुसूची :-

→ * 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी

* शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्तशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए

* 18 विषय प्रदान किये गये।

देशी रियासतों का भारत में विलय :-

* रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया

* जुनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्य बहाली के माध्यम से ।

* जम्मू कश्मीर रियासत को विलय - पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया ।



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

संध संघ उसका राज्य क्षेत्र :-

* राज्यों का संघ

* 28 राज्य

* 7 केंद्र शासित हैं।

अनुच्छेद - 1

* इंडिया राज्य का संघ

* राज्य और उनके क्षेत्रों में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

* भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किये गए अन्य राज्य सम्मिलित होंगे।

अनुच्छेद - 2

* भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे विधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नये राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई।

अनुच्छेद - 3

* नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है।

—: राज्यों का पुनर्गठन :-

- * राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे इसके अन्य सदस्य पं० हृदयनाथ कुंजरु और संदार से के० एम० पणिककर थे ।
- * राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ई० में पास किया गया इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केन्द्रशासित प्रदेश स्थापित किये गये ।

→ नये राज्यों का गठन वर्ष →

राज्य	गठन वर्ष
→ आन्ध्र प्रदेश	- 1953 ई०
→ महाराष्ट्र	- 1960 ई०
→ गुजरात	- 1960 ई०
→ नगालैण्ड	- 1963 ई०
→ हरियाणा	- 1966 ई०
→ हिमाचल प्रदेश	- 1971 ई०
→ मेघालय	- 1972 ई०
→ मणिपुर त्रिपुरा	- 1972 ई०
→ सिक्किम	- 1975 ई०
→ मिजोरम, अरुणाचल	- 1987 ई०
गोवा	- 1987 ई०
दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखण्ड	- 2000 ई०
आरखण्ड	- 2014 ई०



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

- * 1956 में पाण्डुचेरी राज्य क्षेत्र का गठन किया गया।
- * 1 नवंबर 1966 ई० को पंजाब को विभाजित करके पंजाबी पंजाबी भाषी एवं हरियाणा दो राज्य बना दिये गये।
- * 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा



Dev Singh Educational Hub

9455918439 Success is Tradition

—: भारतीय संविधान के प्रमुख भाग :-

भाग - 1

संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 1 से 4

भाग - 2

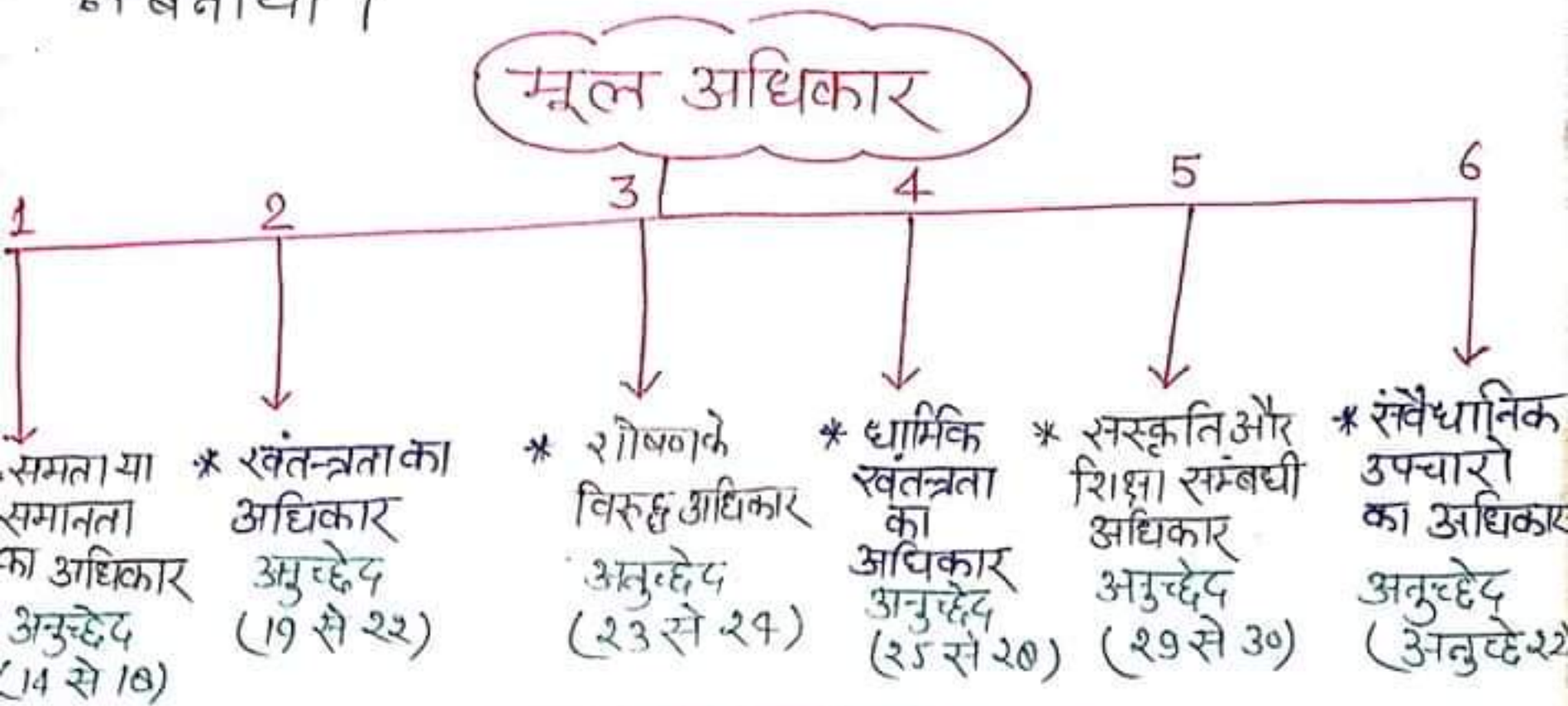
नागरिकता

अनुच्छेद 5 से 11



मौलिक अधिकार

- * संविधान के भाग - 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है।
- * 1931 ई० में कराची अधिवेशन (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल) ने काँग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहर लाल नेहरू ने बनाया।



1- समता या समानता का अधिकार :-

अनुच्छेद - 14 - विधि के समक्ष समता -

↓
सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून

अनुच्छेद - 15

- * धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद - 16

- * लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद - 17

- * अस्पृश्यता का अन्त

अनुच्छेद - 18

- * उपाधियों का अन्त

- * भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा सम्बन्धी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिये जाते हैं।



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

अनुच्छेद - 19

स्वतन्त्रता का अधिकार :-



Dev Singh Educational Hub

9455918439 Success is Tradition

अनुच्छेद 19 -

- * मूल संविधान में 7 तरह की स्वतन्त्रता का उल्लेख है।
- * 19(a) - बोलने की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता
- * 19(b) - शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतन्त्रता
- * 19(c) - संधि बनाने की स्वतन्त्रता
- * 19(d) - देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतन्त्रता
- * 19(e) - देश के किसी भी क्षेत्र क्षेत्र में निवास करने की स्वतन्त्रता
- अपवाद - जम्मू-कश्मीर
- * 19(f) - सम्पत्ति का अधिकार
- * 44 वाँ संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया
- * 19(g) - कोई भी व्यापार सब जीविका चलाने की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद - 20

- * अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बंध में संरक्षण

अनुच्छेद - 21

- * प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण

अनुच्छेद - 21 (A) क

- * राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें।
- * निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा।
- * 86 वाँ संशोधन 2002 के द्वारा

अनुच्छेद - 22

- * कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण
- * निवारक निरोध अधिनियम - 1950



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

- 2. * आंतरिक सुरक्षा अधिनियम - 1971
- 3. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम - 1974
- 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून - 1980
- 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून - (राडा) - सबसे अधिक कठोर कानून

6- पोरो - (Prevention of Feudalism Ordinance 2001)

25 अक्टूबर 2001 ई० को लागू किया

* पोरो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोरा
बहो गया। 21 सितम्बर 2004 को अध्यादेश समाप्त

3- शोषण के विरुद्ध अधिकार :-

अनुच्छेद 23

* मानव के दुर्व्यपार और बलात् श्रम का प्रतिरोध

अनुच्छेद - 24

* बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

स्वतन्त्रता - अनुच्छेद - 25 - का अधिकार -

* अंतःकरण की और धर्म के उबाध रूप से मानने
आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता





* धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद - 27 एवं अनुच्छेद - 28

5-

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद - 29

* अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण -

अनुच्छेद - 30

* शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

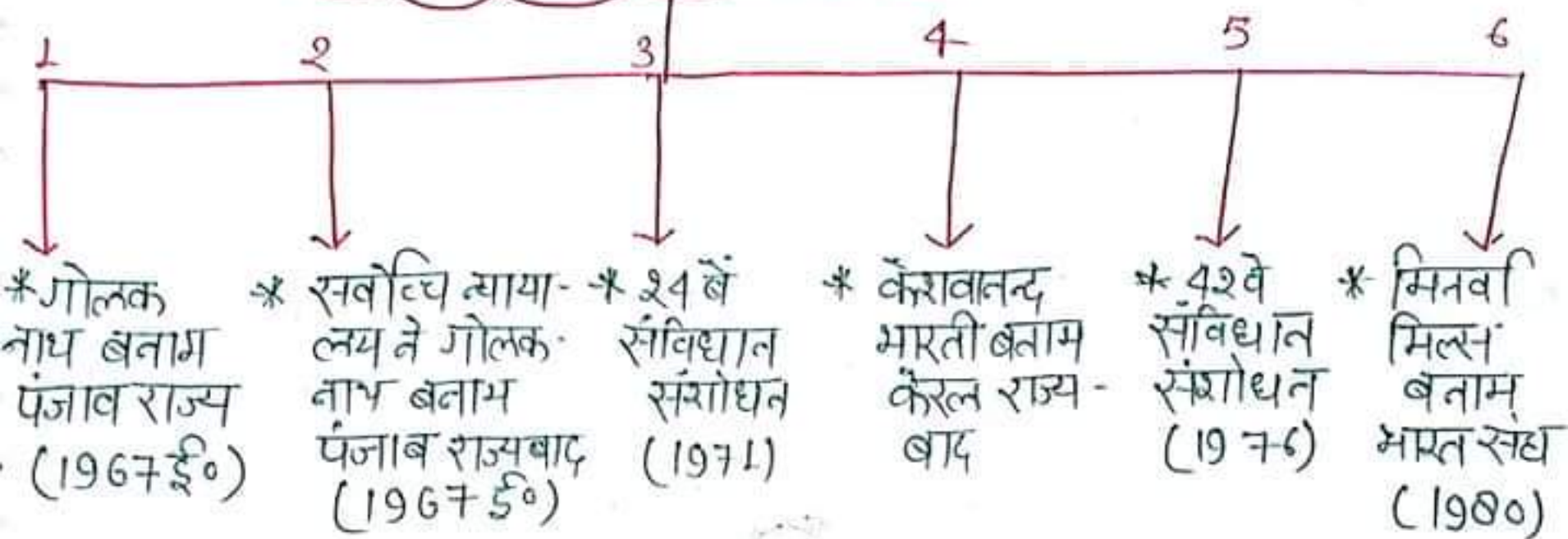
6-

संवैधानिक उपचारों का अधिकार :-

* बन्दी प्रत्यक्षीकरण * परमादेश * प्रतिषेध लेख * उत्प्रेषण अधिकार पृच्छा लेख

* अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डा० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।

—: { मौलिक अधिकार में संशोधन }



{ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त }

* राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग - 4 में [अनुच्छेद 36 से 51 तक] किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है।

* इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।





- * राज्य लोक कल्याण कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

अनुच्छेद - 39(क)

- * समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है।

अनुच्छेद - 39-ख

- * ~~सर्वजनिक~~ धन का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके।

अनुच्छेद - 39(ग)

- * धन का समान वितरण

अनुच्छेद - 40

- * ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

- * कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद 42

- * काम की व्यावसायिक और मानवोचित दशाओं का तथा प्रश्रुति सहायता का उपबन्ध

अनुच्छेद - 43

- * श्रमिकों के लिए निश्चित मजदूरी रंग ~~व~~ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।

अनुच्छेद 44

- * नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

अनुच्छेद 45

- * अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47

- * पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को उंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।



- * कृषि एवं पशुपालन का संगठन

अनुच्छेद 48 क



- * पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा ।

अनुच्छेद 49



- * राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण

अनुच्छेद 50



- * कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का प्रयत्नकरण ।

अनुच्छेद 51

- * अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।

अनुच्छेद 53



- * संघ की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी ।

अनुच्छेद 64



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

* उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा।

अनुच्छेद 74

* एक मंत्रीपरिषद् होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा,

अनुच्छेद 76

* राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जायेगी।

अनुच्छेद 78

* प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यकता समझे।

अनुच्छेद 86

राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार

अनुच्छेद 110



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

- * धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद 112

- * प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जायेगा।

अनुच्छेद 123

- * संसद के अवकाश (सत्र नही चलने की स्थिति) में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार।

अनुच्छेद 124

- * सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन

अनुच्छेद 148

अनुच्छेद 129

- * सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।

- * नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद 163

- * राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव

अनुच्छेद 169



Dev Singh Educational Hub
9455918439 Success is Tradition

* राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति।

अनुच्छेद 213

* राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश

अनुच्छेद 214

* राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना।

अनुच्छेद 226

* मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी।

अनुच्छेद 233

* जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श

अनुच्छेद - 235

* उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय



इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन संरचना आरक्षण शक्तियाँ प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान

अनुच्छेद - 245

* संसद सम्पूर्ण देश या उसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 248

* विधि निर्माण सम्बन्धी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित।

अनुच्छेद 249

* राज्य सभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।

अनुच्छेद 262

* अंतर्राष्ट्रीय अन्तराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण।



इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन संरचना आरक्षण शक्तियाँ प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान

अनुच्छेद - 245

* संसद सम्पूर्ण देश या उसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 248

* विधि निर्माण सम्बन्धी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित।

अनुच्छेद 249

* राज्य सभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।

अनुच्छेद 262

* अंतर्राष्ट्रीय अन्तराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण।



अनुच्छेद 300क

- * राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अन्तर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 ई. द्वारा इसे 300क में सामान्य वैधानिक (कानूनी) अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया।

अनुच्छेद 312

- * राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अरिक्ल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुमति कर सकती है।

अनुच्छेद 315

- * लोकसभा संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना

अनुच्छेद 324

- * चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण सम्बंधी

अनुच्छेद 326

- * लोकसभा तथा विधान सभा में चुनाव व्यवस्थापक मताधिकार के आधार

अनुच्छेद 330

- * लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण।

अनुच्छेद 331 - 333

ऑगल - भारतीय समुदाय के लोगो का राष्ट्रपति द्वारा
लोक सभा मे मनोनयन ।

विधान सभा-333

अनुच्छेद 332

* अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में
आरक्षण

अनुच्छेद 335

* SC, ST, OBC के लिए सेवाओं में आरक्षण ।

अनुच्छेद 338

क

* राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग । "जनजाति

अनुच्छेद 340

* पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग
की नियुक्ति

अनुच्छेद 343

* संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में
लिखी गई 'हिन्दी' होगी ।

अनुच्छेद 350

क

* प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना ।



अनुच्छेद 351

* हिन्दी को प्रोत्साहन देना ।

* राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चक्र है। जो बैक की सुवधानुसार अदा की जायेगी यह कथन R.T शाह का है।

मैलिक अधिकार एवं नीति - निर्देशक सिद्धान्त में
अन्तर -

- * यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया
- * यह सं. रा. अमेरिका के संविधान से लिया गया।
- * इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया।
- * भाग 3 में लिया गया है।
- * यह समाज की भलाई के लिए है।
- * यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है।
- * इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
- * मैलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है।

अनुच्छेद 358

* संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन का अधिकार

अनुच्छेद 370

* जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन

अनुच्छेद 371

- * कुछ राज्यों के विषय विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है।
— महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैण्ड, मणिपुर

अनुच्छेद 394 क

- * राष्ट्रपति अपने अधिकार के अन्तर्गत इस संविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करायेंगा।

अनुच्छेद 395

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं हैं। यहाँ रद्द किया जाता है।



—: संविधान के भाग :-

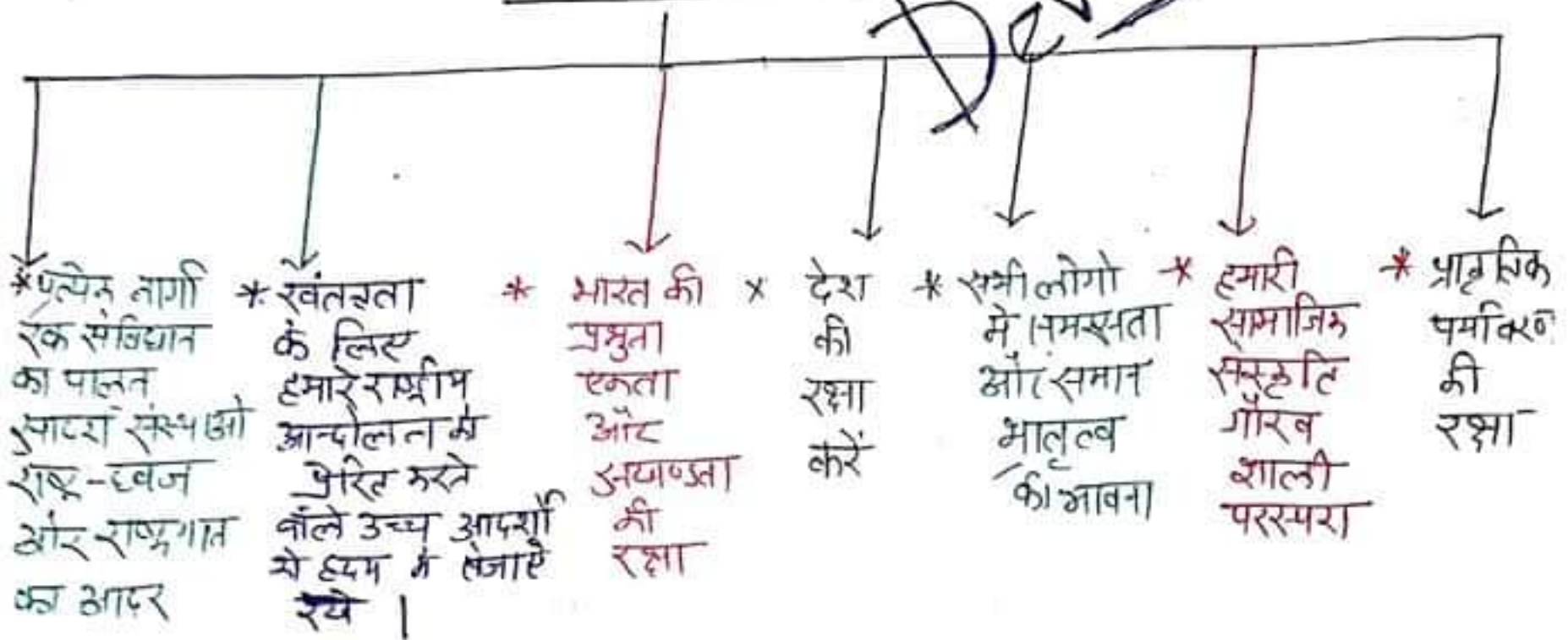
- भाग - 1 - संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र - अनुच्छेद 1 से 4
- भाग - 2 - नागरिकता - अनुच्छेद 5 से 11
- भाग - 3 - मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 12 से 35
- भाग - 4 - नीति-निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51
- भाग - 4 (क) मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क
- भाग - 5 - संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 51
- भाग - 6 - राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 237
- भाग - 8 - संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242
- भाग - 9 - पंचायती राज
- भाग - 9 क - नगरपालिका
- भाग - 10 - अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र
- भाग - 11 - संघ एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध अनुच्छेद 245 से 263
- भाग - 12 - वित्त सम्पत्ति, समविधाय एवं ऋण (मुद्रमा)
- भाग - 13 - भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम ।
- भाग - 14 - संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाये ।
- भाग - 14 क - प्रशासनिक अधिकरण
- भाग - 15 - निवचन
- भाग - 16 - कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध (Sc, ST, OBC)

—: मैलिक कर्तव्य :-

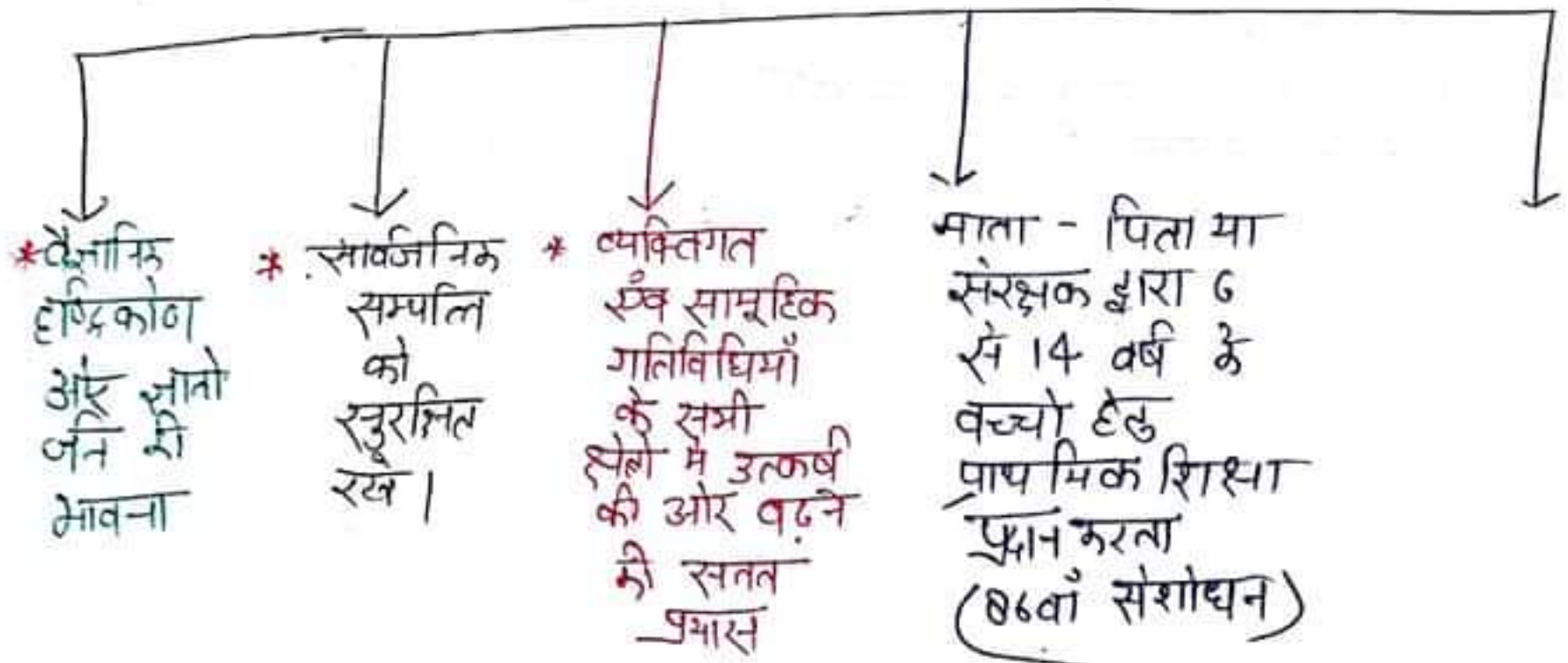
* मैलिक कर्तव्य की संख्या 11 है।

* स्पष्ट रूप से स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें (1976 ई.) के द्वारा मैलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया।

मैलिक कर्तव्य



मैलिक कर्तव्य



14 - संघीय कार्यपालिका

- * भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

राष्ट्रपति

- * राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है।
- * राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।

राष्ट्रपति - पद की योग्यता -

- * संविधान के अनुच्छेद 58
 - * भारत का नागरिक हो।
 - * 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
 - * लोक सभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने योग्य हो।
 - * राष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन भरे समय 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है।
 - * राष्ट्रपति को महामियोग द्वारा हटाया जाता है।
 - * राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
 - * राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 ₹ प्रतिमाह है जबकि पूर्व राष्ट्रपति को 75,000 ₹ प्रतिमाह की पेंशन है।
- (इससे सम्बंधित विधेयक दिसम्बर, 2008 में पारित हुआ)

—: (भारत के राष्ट्रपति) :-

नाम

कार्यकाल

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. डा० राजेन्द्र प्रसाद | 26.01.1950 - 13.05.1962 |
| 2. डा० एस. राधाकृष्णन | 13.05.1962 - 13.05.1967 |
| 3. डा० जाकिर हुसैन | 13.05.1967 - 13.05.1969 |
| 4. वी० वी गिरि | 24.08.1969 - 24.08.1974 |
| 5. फरवर्दुद्दीन अली
अहमद | 24.08.1974 - 11.02.1977 |
| 6. नीलम संजीव रेड्डी | 25.07.1977 - 25.07.1980 |
| 7. शान्ति जैल सिंह | 25.07.1982 - 25.07.1987 |
| 8. आर० वेकटरमण | 25.07.1987 - 25.07.1992 |
| 9. डा० शंकर दयाल
शर्मा | 25.07.1992 - 25.07.1997 |
| 10. डा० के आर नारायण | 25.07.1997 - 25.07.2002 |
| 11. डा० ए० पी० जे अब्दुल
कलाम | 25.07.2002 - 25.07.2007 |
| 12. प्रतिभा पाटिल | 25.07.2007 - 25.07.2012 |
| 13. प्रणव मुखर्जी | 25.07.2012 - 25.07.2017 |
| 14. रामनाथ कोविंद | 25 2017 - निरन्तर |

राज्य की कार्यपालिका:

विधान परिषद Legislative Council

Dev Singh Education Hub 9455918439

Art - 168

इसके अन्तर्गत भारत के 7 राज्यों (उ० प्रदेश 99, कर्नाटक 75, जम्मू-कश्मीर 36), महाराष्ट्र 70, बिहार 75, आन्ध्रप्रदेश 50, तेलंगाना 41 में विधान परिषद है।
7 राज्यों में 2 सदन (उच्च सदन व निम्न सदन) हैं बाकि राज्यों में केवल निम्न सदन (विधान सभा) है।

Art 169: विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है।

प्रक्रिया - प्रक्रिया निम्न है -

- सम्बन्धित राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के $\frac{2}{3}$ बहुमत से इस सन्दर्भ में प्रस्ताव रखती है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर विधान परिषद का गठन हो जाता है।

Note - Art 169 में ही विधान परिषद की समाप्ति का उल्लेख है। और इसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त किया जाता है।

Art 171: विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है।

इसके अनुसार - किसी भी विधान परिषद में max. सदस्य संख्या, उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का $\frac{1}{3}$ हो सकती है। जबकि min. सदस्य संख्या 40 होती है।

Note: जम्मू-कश्मीर में 31 होती है।

- Art 171 के अनुसार विधान परिषद की संरचना इस प्रकार है -
- राज्यपाल द्वारा मनोनीत करना $\frac{1}{6}$ सदस्य
 - विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित करना $\frac{1}{3}$ सदस्य
 - जिला स्तर की पंचायत करना, नगरपालिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित $\frac{1}{3}$ सदस्य
 - माध्यमिक स्तर पर पिछले 3 वर्षों से पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा चुनाव $\frac{1}{12}$ सदस्य
 - स्नातकों द्वारा निर्वाचित $\frac{1}{12}$ सदस्य

art 172: विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा होता है।

art 173: इसमें लिखा है कि विधान परिषद के $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेंगे।

- सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। (संविधान में नहीं लिखा)
- विधान परिषद में सभापति व उपसभापति का चुनाव विधान-परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है।

विधान परिषद के कार्य:

विधान मण्डल के कार्य

विधान परिषद

विधान सभा

(i) **कानूनों का निर्माण करना:** धनविधेयक (Money Bill) को छोड़कर, अन्य विधेयकों को किसी भी सभा में रखा जा सकता है। यदि विधान परिषद किसी Bill को पारित करे और विधान सभा इन्कर कर दे तो Bill वहीं समाप्त हो जायेगा। विधान सभा यदि किसी Bill को पारित कर विधान परिषद में भेजती है तो उसे 3 माह में विधेयक पारित करना होता है, अन्यथा Bill वापस विधान सभा में आ जाता है। यदि इसे विधान सभा वापस पारित करके भेजती है तो उसे 1 माह में विधान परिषद को पारित करना होता है, अन्यथा उसे पारित माना जायेगा।

Note: विधान परिषद किसी भी Bill को कुल 4 माह तक रख सकता है।

(ii) **बजट पारित करना:** बजट एक Money Bill है। बजट पहले विधान सभा में ही पेश किया जाता है। विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है।

Note: धन विधेयक के सन्दर्भ में विधान परिषद को ही राज्य सभा की भाँति कोई अधिकार नहीं है।

(iii) **संविधान संशोधनों को अनुमोदन देना:** अनु० 368 के प्रावधानों के तहत संविधान के कुछ प्रावधानों (संघीय ढाँचे) के तहत राज्य विधान मण्डल का अनुमोदन भी आवश्यक होता है।

(iv) चुनाव सम्बन्धी कार्य

- राष्ट्रपति का चुनाव (विधान सभा के निर्वाचित सदस्य)
- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव (विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा)
- विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव (विधान सभा)

★ निम्न में से गलत कथन ढाटिये -

- (i) संविधान संसोधन के मामले में राज्य किसी तरह की पहल नहीं करते हैं।
- (ii) संविधान संसोधनों के संदर्भ में राज्य की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ✓
- (iii) विधान सभा के सदस्यों की कुछ योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है।
- (iv) विधान परिषद में सदस्यों की कुल सं०, विधान सभा की $\frac{1}{3}$ होती है।



9455918439

निर्वाचन आयोग व राजनीतिक दल Election Commission & Political Parties

25 Jan 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना।

art 324: इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है।

• इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

Note: 25 Jan 1950 को वर्तमान चुनाव आयोग स्थापित हुआ। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयोग थे। संविधान में निर्वाचन आयोगों की योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। सुकुमार सेन व कल्याण सुन्दरम का कार्यकाल लगभग 9 वर्ष था।

1950-89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यी संस्था थी। 1975 में एक कमेटी (तारकुण्डे समिति) गठित की गयी जिसके अध्यक्ष V.M. Tarkunde थे। इस कमेटी ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की।

1989 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनी लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः एक सदस्यी संस्था बनाया गया।

फिर से एक कमेटी (गोस्वामी समिति) बने जिसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी थे।

1993 से आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयोग (1) के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त (2) होंगे।

$$1 + 2 = \underline{3} \text{ सदस्यीय}$$

Note: V.S. Ramadevi एक मात्र महिला है जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी है।

• वर्तमान में ओमप्रकाश शर्मा (22वें) मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। जबकि सुनील अरोड़ा व अशोक लतासा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं।

योग्यता: 1. संविधान में उल्लिखित नहीं है -

(i) भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का इन पदों पर नियुक्त किया जाता है।

(ii) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (मंत्रिपरिषद् के सलाह पर)

Note: व्यहार, में मंत्रिपरिषद् की सिफारिश में (इस संदर्भ में कोई कोलेजियम नहीं है)

कार्यकाल: कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।

Note: कार्यकाल 6 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है।

निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना:

- (i) अनु० 324 के अनुसार, उसी विधि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है जैसे 124 (4) के सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। महाभियोग जैसी
- (ii) Art 324 में यह भी लिखा है कि अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।

Note: वर्ष 2009 में तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की गयी थी लेकिन नहीं हटाया गया। और वह आगे चलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गये।

324 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह दायित्व है कि चुनाव कराने हेतु आयोग को प्रशासनिक तौर उपलब्ध कराये।

चुनाव आयोग के कार्य:

- (i) चुनाव कराना—(a) Art 324 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधानपरिषद् के चुनाव कराता है।
- (b) चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करता है।
- (c) आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लागू करवाना 1971 में पहली बार यह आचार संहिता बनाई गयी। इसका उल्लंघन होने पर आयोग उम्मीदवारी खारिज कर सकता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है अथवा राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर सकता है।
- (d) मतदाता सूचियों तैयार करना।

Note: चुनाव सम्बन्धी विवादों की सुनवाई (प्रारम्भिक) करना, आयोग का कार्य है लेकिन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों में आयोग नहीं सुप्रीम कोर्ट करता है।

(ii) परिसीमन करना (Quillimitations):
(a) सीटों की संख्या निर्धारित करना तथा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना।

- (b) सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार
(c) निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, 2001 की जनगणना के अनुसार
(d) प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन किया जाना चाहिए।
(e) परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बनाती है।
(f) अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया
1952 (I), 2002 (IV)
(g) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं।

✓ ^{वर्तमान} Note: वर्ष 2026 तक यही परिसीमन रहेगा। 84th एवं 87th संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह प्रावधान किया गया।
अनु - 329 के तहत परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

(iii) राजनैतिक दलों को मान्यता देना:

है तथा 49 राज्यस्तरीय पार्टी है। ^{वर्तमान में 7 राष्ट्रीय पार्टी} स्थानीय दल - 104।

* पार्टी का बनना - इसकी मान्यता के निम्न आधार हैं -

राष्ट्रीय (a) चुनाव में वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करना। या लोकसभा की कुल सीटों का 2% (11) प्राप्त करने पर लेकिन ये सीटें 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। या कम से कम 4 राज्यों में राज्यदल का दर्जा प्राप्त होने पर

7 राष्ट्रीय पार्टियाँ: 1. कांग्रेस 1885

(राहुलगांधी) → इस समय के अध्यक्ष

2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925
(S. सुधाकर रेड्डी)

3. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 (सीता राम येचुरी)

4. भाद्रपा 1980 (अमित शाह)

5. बसपा 1984 (मायावती)

6. तृणमूल कांग्रेस 1998 (ममता बनर्जी)

7. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 (शरद पवार)

Note : Sep 2016 में वृणमूल कॉंग्रेस को पं बंगाल, अरुणांचल प्रदेश
मेघालय तथा त्रिपुरा में राज्यदल का दर्जा होने के कारण
राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला ।

* राज्यदल का बनना : वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की प्रत्येक
25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त करने पर या
विधान सभा की कुल सीटों का 3% (3 सीट) प्राप्त करने पर (इनमें
से जो भी अधिक हो या 3% या 3 सीट) या
चुनाव में वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेना ।

* कोई पार्टी बनाना : 10,000 रु० शुल्क देय और 100 सदस्य

लोकपाल / लोकायुक्त

लोकपाल - केन्द्र
लोकायुक्त - राज्य

लोकपाल : (i) विश्व का प्रथम ओम्बुड्समैन 1809 में स्वीडन में स्थापित हुआ।

↓ श्रम सुधार को रोकने की संस्था

(ii) लोकपाल ओम्बुड्समैन (Ombudsman) का ही भारतीय संस्करण है।

(iii) Ombudsman स्वीडिश भाषा का शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ जन शिकायतों को सुनने वाला होता है।

(iv) 1963 में L.M. सिंघवी ने लोकपाल शब्द दिया।
(राजस्थान IAS)

(v) 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुयी थी। मोरारजी देसाई के मंत्री बन जाने पर R. हनुमंतैया इस आयोग के अध्यक्ष बने। आयोग ने अन्तरिम प्रतिवेदन (Interim Report) दिया। 1968 में।

(vi) आयोग की सिफारिश पर मई 1968 में इन्दिरा गाँधी की सरकार द्वारा लोकपाल की स्थापना हेतु लोकसभा में विधेयक लाया गया।

(vii) अब तक 10 बार ये विधेयक लाया जा चुका है। दिसम्बर 2011 में अन्तिम बार लाया गया। और पारित हो गया।

(viii) लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक-2013 इसका नाम रखा गया।
1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी और ये लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम-2013 बन गया।

इस अधिनियम की विशेषताये :

(a) लोकपाल एक संस्था है जिसमें

एक सभापति व 8 सदस्य होंगे

(b) कम से कम आठ सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक पृष्ठ भूमि से होंगे (न्यायाधीश / जज / हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश)

(c) SC, ST, OBC महिला तथा अल्पसंख्यक वर्ग से एक एक व्यक्ति सदस्य होना चाहिए।

(d) न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।

(e) 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए।

योग्यता: सभापति के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा जो या तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो अथवा समाज का प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति हो।

नियुक्ति: कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि भारत कोलेजियम: प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश। उच्च अन्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अ एक अन्य व्यक्ति (यह सदस्य ऊपर वर्णित सदस्यों के सिफारिश पर नियुक्ति किया जायेगा)

दर्जा:

- (i) सभापति का दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर
- (ii) 8 सदस्यों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर

कार्यकाल: 5 वर्ष / 70 वर्ष

Note: कोई भी व्यक्ति अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है।

सेवानिवृत्त के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के आधीन कोई लाभ का पद नहीं लिया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है।

हटाया जाना:

- (i) इस संदर्भ में, संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा।

- (ii) कदाचार या अक्षमता के आरोप में प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- (iii) राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रस्ताव की जाँच करवाते हैं और आरोप सही पाये जाने पर राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं।
- (iv) जाँच के दौरान राष्ट्रपति उन्हें निलम्बित कर सकते हैं।

लोकपाल की शक्तियाँ

CPC-1908 (Criminal Pannel Code-1908) के तहत लोकपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं -

- (i) समन (Summon) जारी करना
 - (ii) शपथ पत्र पर गवाही
 - (iii) गवाही की audio / video recording करना
- इसके अलावा लोकपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं -
- (i) आरोपित अधिकारी के स्थानान्तरण का आदेश
 - (ii) CBI से जाँच करवा सकता है, इस दौरान CBI लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी।
 - (iii) लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे, जिन्हे तीन महीने में मामले का निपटारा करना होगा।

(ज्यादा से ज्यादा 12 महीने)

(iv) दोषी अधिकारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है।

(v) दोषी अधिकारी की सम्पत्ति कुर्क कर सकता है।

- (ii) कदाचार या अक्षमता के आरोप में प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- (iii) राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रस्ताव की जाँच करवाते हैं और आरोप सही पाये जाने पर राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं।
- (iv) जाँच के दौरान राष्ट्रपति उन्हें निलम्बित कर सकते हैं।

लोकपाल की शक्तियाँ

CPC-1908 (Criminal Pannel Code-1908) के तहत लोकपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं -

- (i) समन (Summon) जारी करना
 - (ii) शपथ पत्र पर गवाही
 - (iii) गवाही की audio / video recording करना
- इसके अलावा लोकपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं -
- (i) आरोपित अधिकारी के स्थानान्तरण का आदेश
 - (ii) CBI से जाँच करवा सकता है, इस दौरान CBI लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी।
 - (iii) लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे, जिन्हे तीन महीने में मामले का निपटारा करना होगा।

(ज्यादा से ज्यादा 12 महीने)

- (iv) दोषी अधिकारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है।
- (v) दोषी अधिकारी की सम्पत्ति कुर्क कर सकता है।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Lokpal):

1. Prime Minister - PM के कार्यों की जाँच करेगा लेकिन परमाणु ऊर्जा, आन्तरिक सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, लोक व्यवस्था (Public order) के बारे में लिखे निर्णय लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे।
PM, आंशिक रूप से लोकपाल के दायरे में आता है।
2. केन्द्र सरकार के सभी मंत्री तथा पूर्व मंत्री, लोकपाल के दायरे में आते हैं।
3. सभी वर्तमान तथा पूर्व सांसद
4. अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी (IAS, IPS, IRS) तथा सेवानिवृत्त अधिकारी, लोकपाल के दायरे में आते हैं।
5. केन्द्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के सभी अधिकारी तथा पूर्व अधिकारी
6. संसदीय अधिनियमों से सभी संस्थाओं के अधिकारी व कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी
7. विश्व के किसी भी भाग में कार्यरत भारत सरकार का अधिकारी, कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त

Note: • लोकपाल स्वयं का न्यायालय होता है लेकिन सजा देना नहीं है दिलवाता है।

- 7 वर्ष पुराने मामलों की जाँच नहीं करेगा।
- मिथ्या शिकायत करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा एक वर्ष तक की सजा हो सकती है और यह सजा स्वयं लोकपाल देगा।
- लोकपाल सिविल सेवक को 7 वर्ष की सजा दिलवा सकता है, और यदि कोई आपराधी मामला है तो एवं किसी पर बार-बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और भ्रष्टाचार साबित भी हो रहा है तो 10 वर्ष की सजा भी दी जा सकती है।
- विदेशों से धन प्राप्त करने वाली संस्था FCRA इस एक्ट के दायरे में आती है और 10 लाख से अधिक रुपये का अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हे भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है।

लोकायुक्त

- ★ लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे।
- ★ 1970 में उड़ीसा में पहली बार लोकायुक्त के संदर्भ में अधिनियम बना था जबकि 1971 में महाराष्ट्र ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी।
- ★ अब तक भारत के 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जा चुका है।
- ★ अलग-अलग राज्यों में लोकायुक्त को अलग-2 नामों से जाना जाता है।
जैसे - U.P., महाराष्ट्र, राजस्थान, M.P., A.P., कर्नाटक, असम में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के नाम से जाना जाता है।
केरल में पब्लिक मैन, तमिलनाडु में कमिशनर ऑफ इन्क्वायरी, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण कहा जाता है।
- ★ अलग-2 राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियाँ भी अलग-2 होती हैं।

Dev Sir - 9455918439

- लोकायुक्त का कार्य :**
- (i) मंत्रियों व राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध शिकायतों के एवं उनका पंजीकरण करना
 - (ii) प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करना।
 - (iii) दुष्प्रवृत्ति वृत्ति की गई शिकायतों के क्रम में शिकायतकर्ता को दण्डित करना।

Note : 1. UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा में मुख्यमंत्री की लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

2. हिमाचल प्रदेश, A.P., गुजरात, U.P व असम राज्य में विधान सभा के सदस्यों की लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है।

लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

लोकायुक्त

- ★ लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे।
- ★ 1970 में उड़ीसा में पहली बार लोकायुक्त के सन्दर्भ में अधिनियम बना था जबकि 1971 में महाराष्ट्र ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी।
- ★ अब तक भारत के 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जा चुका है।
- ★ अलग-अलग राज्यों में लोकायुक्त को अलग-2 नामों से जाना जाता है।
जैसे - U.P., महाराष्ट्र, राजस्थान, M.P., A.P., कर्नाटक, असम में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के नाम से जाना जाता है।
केरल में पब्लिक मैन, तमिलनाडु में कमिशनर ऑफ इन्क्वायरी, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण कहा जाता है।
- ★ अलग-2 राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियाँ भी अलग-2 होती हैं।

Dev Sir - 9455918439

- लोकायुक्त का कार्य :**
- (i) मंत्रियों व राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध शिकायतों के एवं उनका पंजीकरण करना
 - (ii) प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करना।
 - (iii) दुष्प्रविनाश की गई शिकायतों के क्रम में शिकायतकर्ता को दण्डित करना।

- Note :** 1. U.P., बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
2. हिमाचल प्रदेश, A.P., गुजरात, U.P. व असम राज्य में विधान सभा के सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है।
- लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

लोकायुक्त की जाँच के बाद यदि किसी लोकसेवक के विरुद्ध आरोप साबित हो जाता है तो लोकायुक्त उसे दण्ड नहीं दे सकेगा वह उसकी अनुरासा राज्यपाल को करेगा। राज्यपाल यथाशीघ्र रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रख देगा।

किसी लोकसेवा की जाँच लोकायुक्त कर रहा हो तो सरकार लोकसेवक का खर्च वाहन करेगी।

लोकायुक्त को हटाना : उसके व्यवहार क्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।

Note : अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गयी शिकायत अथवा लेकिन UP, MP, असम में वह जाँच प्रारम्भ करने के लिए स्वयं पहल पहले नहीं कर सकता है।

कार्यकाल : लोकायुक्त, उपलोकायुक्त (संसोधन) विधेयक 2012 पारित करके इसका कार्यकाल 6 से 8 वर्ष कर दिया गया है।

झूठी शिकायत पर 50,000 का जुर्माना लगा सकता है।

Dev Sir-9455918439

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

Central Vigilance Commission

1962 में भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने हेतु सुझाव 12. संधानम की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया।

संधानम आयोग की सिफारिश में 1964 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा (कार्यपालिका प्रस्ताव) CVC की स्थापना की गयी।

1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेश से CVC को बैधानिक या संवैधिक संस्था बनाया गया।
(Statutory) (Legal)

वर्ष 2001 में मरल जी सरकार द्वारा CVC एक्ट 2003 बनाया गया जिसकी निम्न विशेषताये है—

1. इसके द्वारा CVC को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। (1 + 2 = 3)

Dev Sir - 9455918439

2. योग्यताये : अखिल भारतीय सेवाओं व केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं।

3. नियुक्ति : कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा

कॉलेजियम : अध्यक्ष PM होंगे। जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत का गृहमंत्री

4. कार्यकाल : चार वर्ष तथा सेवानिवृत्ति 65 वर्ष

5. दर्जा (Status) : मुख्य सतर्कता आयोग का दर्जा, UPSC के अध्यक्ष के बराबर जबकि अन्य दो सतर्कता आयोग आयुक्तों का दर्जा, UPSC के सदस्य के बराबर होता है।

6. हटाना : कदाचार व अक्षमता का आरोप है तो राष्ट्रपति द्वारा SP इशारेकरवायी गयी जाँच के आधार पर हटाया जाता है।

Note : जाँच के समय निर्लंबित किया जा सकता है।

7. कार्य व शक्तियाँ : (i) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतों की सुनवाई करना ।
- (ii) केन्द्रीय सेवाओं के सभी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनना ।
- (iii) संसदीय अधिनियम से स्थापित सभी संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें सुनना ।
- (iv) ~~विषय~~ whistle blowers से सम्बन्धित मामले
→ खुफियों जानकारी रखने वाला
- Note : CVC अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं ।

सूचना का अधिकार

- ★ SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, P.UCL (People Union for 2002 civil liberty) बनाम संघ भारत तथा ADR (Association for Democratic Reform) बनाम भारत संघ 2003 के मामलों में सूचना के अधिकार को Art-19 व 31 का भाग माना गया है।
- ★ 1776 में स्वीडन विश्व का पहला देश बना जहाँ नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया।
- ★ गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ नागरिकों को कानून बनाकर सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाये। तमिलनाडु व महाराष्ट्र में भी यह कानून बनाया गया।
- ★ पूर्व IAS अरुणा राय के मजदूर किसान शक्ति संगठन तथा अरविन्द केजरीवाल के "परिवर्तन" नामक संगठन (NGO) का इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण योगदान है।
→ रमन मैग्सेसे (एशिया का नोबेल)
- ★ बाजपेयी सरकार 2003 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003, बनाया गया।
Dev Sir- 9455918439
- ★ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पहली बार 15 जून 2005 को लागू हुआ था। जबकि 12 Oct. 2005 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ।
- Note: 12 Oct को सूचना दिवस या सूचना का अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है।
- ★ ऐसी संस्थाएँ जो Art-12 के अन्तर्गत राज्यशब्द की परिभाषा के अन्तर्गत में शामिल हैं, वे सभी संस्थाएँ इस अधिनियम के दायरे में आती हैं।
- ★ प्रत्येक संगठन में लोक सूचना अधिकारी (PIO) को से सूचना हेतु आवेदन करना पड़ता है।
Public Inf. Off.

* BPL [Below Poverty Line] के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा जबकि अन्य के लिए 10 रु० शुल्क है। 30 दिन के भीतर सूचना देनी होती है। तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित सूचना होने पर 10 अतिरिक्त दिन दिये जाते हैं। यदि कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित है तो 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करवाना होता है।

* निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसी संगठन में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

* अपीलीय अधिकारी ^(A.O) के निर्णय के विरुद्ध SIC [State Inform. Commission] और CIC [Centre Inf. Comm.] में अपील की जाती है।

Note: SIC व CIC में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अर्थात् SIC के विरुद्ध अपील CIC में नहीं हो सकती है।

केंद्र सूचना आयोग

Central Information Commission

12 Oct

- * 2005 को CIC की स्थापना हुयी।
- * CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। (1+10=11)
- * यह एक वैधानिक निकाय है।

योग्यताये :

विधि, प्रशासन, समाज सेवा, विज्ञान, जनसंचार के विशेष व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं।

नियुक्ति : कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।

→ प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। जबकि लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री

कार्यकाल : 5/65 वर्ष

Note : 1. कोई भी व्यक्ति अपनेपक्ष पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है।
लेकिन सूचना आयुक्तों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है।

2. वजाहत हबी उल्हाह (1) भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे।
वर्तमान में आर. के. माथुर (8) मुख्य सूचना आयुक्त हैं।

3. दीपक सेंधु (4) पहली महिला भारत की मुख्य सूचना आयुक्त बनीं

4. सुष्मा सेंधु (5) भी मुख्य सूचना आयुक्त थीं।

सूचना आयुक्तों का दर्जा : मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों का दर्जा निवचिन आयुक्तों के बराबर होता है।

हटाना : कदाचार व अक्षमता के आरोप पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से करवायी गयी जाँच के आधार पर

कार्य : 1. अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना
2. अपील सूचनाये उपलब्ध करवाने का आदेश देना।

3. दोषी लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर 250 Rs/day के हिसाब से अधिकतम 25000 Rs का जुर्माना लगा सकता है।
4. सूचना के अधिकार का प्रचार-प्रसार करना।

Note: CPC (Criminal Pannel Lawd-1908) के तहत आयोग को Summon जारी करना, शपथपत्र पर गवाही देने तथा गवाही की audio, video की recording करने की शक्ति प्राप्त है।

राज्य सूचना आयोग

State Information Commission

SIC

★ SIC

★ RTI Act 2005 के तहत प्रत्येक राज्य में SIC की प्रस्तावना का प्रावधान किया गया है।

★ $1+10 = 11$

★ योग्यताये CIC की।

★ नियुक्ति : कोलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा।

→ अध्यक्ष - CM, विधानसभा के विपक्ष का नेता व कोई भी एक मंत्री।

★ दर्जा : मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा, राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों का दर्जा मुख्य सचिव के बराबर

कार्यकाल : 5/65 वर्ष

Note: कोई भी व्यक्ति अपने पद पर Reappoint नहीं हो सकता।

हटाया जाना : अक्षमता व कदाचार के आरोप में राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट से करवायी गयी जाँच से उसे हटाया जाता है और जाँच के दौरान राज्यपाल उसे निर्लम्बित (Suspend) भी कर सकते हैं।

कार्य : Same as CIC.

Whistle Blowers: ऐसे व्यक्ति जिनके पास सरकारी संगठनों या (परमदीद गवाह) अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचनाये हो, whistle blowers कहलाते हैं।

इस सन्दर्भ में 2011 में, संसद में एक विधेयक लाया गया। W.B. Bill 2013, 14 मई 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। पर अभी भी लागू नहीं हुआ है।

Note: वर्ष 2004 से इस सन्दर्भ में सभी मामले CVC (Central Vigilance Commission) देखता है। Blow your whistle CVC द्वारा चलाया गया Campaign है।

योजना आयोग Planning Commission

P.C

- * सामाजिक व आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
- * 1946 में, के. सी. नयोगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति की सिफारिश पर मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव (कार्यपालिका) या राष्ट्रपति के आदेश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई।
- * यह आयोग योजना निर्माण के स्दर्भ में, भारत का सर्वोच्च संस्थान था।

ढौरा (संरचना) : 1. भारत का PM इसका पदेन अध्यक्ष होता था। जबकि उपाध्यक्ष की नियुक्ति PM के द्वारा की जाती थी।

Dev Sir-9455918479

Note: उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर था।

2. आयोग की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं थी लेकिन आयोग में 2 प्रकार के सदस्य थे - (i) स्थाई सदस्य - नियुक्ति - PM, इनका दर्जा केन्द्र सरकार के राज्यमंत्री के बराबर होता था।

(ii) अस्थायी सदस्य - कुछ कैबिनेट मंत्रियों को PM द्वारा इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता था।

योजना आयोग के कार्य :

1. देश में उपलब्ध मानवीय, प्राकृतिक व भौतिक संसाधनों का पता लगाना।
2. इन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजनाओं का निर्माण करना। (पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण)

Note: योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है।

राष्ट्रीय विकास परिषद NDC

National Development Council

- ★ 6 Aug 1952 को कार्यपालिका आदेश द्वारा NDC की स्थापना हुई
- ★ PM, NDC का अध्यक्ष होता था और योजना आयोग का उपाध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष होता था।
- ★ NDC एक संवैधिनेतर संस्था है।
- ★ योजना आयोग के सदस्य, NDC के भी सदस्य थे।
- ★ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके सदस्य थे।

NDC के कार्य:

1. योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजनाओं को अनुमोदन देना।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना।

नीति आयोग

NITI : National Institutions Transforming India, Ayog
(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, आयोग)

- ★ NITI का PM, पदेन अध्यक्ष होता है।
- ★ उपाध्यक्ष की नियुक्ति, PM द्वारा की जाती है।
- ★ उपाध्यक्ष का दर्जा, केन्द्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है।
- ★ अरविन्द पनगड़िया, इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
- वर्तमान में, राजीव कुमार उपाध्यक्ष है।
↳ अर्धशास्त्री

★ NITI आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं -
(i) स्थाई सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य : इनकी संख्या 5 होती है।

- 2018
1. तिवेक देवराय
 2. V. K. सारस्वत
 3. प्रो० रमेश चन्द्र
 4. वी के पॉल
 - 5.

सदस्यों की नियुक्ति PM द्वारा की जाती है इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, तथा इनका दर्जा भारत सरकार के राज्यमंत्री के बराबर होता है।

(ii) पदेन सदस्य : इनकी संख्या 4 होती है।

1. गृहमंत्री
2. वित्तमंत्री
3. रेल मंत्री
4. कृषि मंत्री

(iii) विशेष आमन्त्रित सदस्य : इनकी संख्या 3 होती है।

- (i) परिवहन मंत्री
- (ii) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री
- (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री

(iv) अस्थाई सदस्य : इनकी संख्या 2 होती है।

1. विश्व विद्यालय या अनुसंधान संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को PM द्वारा अस्थाई सदस्य के रूप में

Note : अब तक किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी : भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी
[CEO] इस पद पर नियुक्त किया जाता

है इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है।

पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी - श्रीमतीसिंधु श्री सुब्लर
वर्तमान - अमिताभ कांत

अधिशाषी परिषद (Governing Council) :

1. नीति आयोग का अध्यक्ष, इसका भी अध्यक्ष होता है।

2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष

3. नीतिआयोग के सभी सदस्य, इसके भी सदस्य

4. 29 राज्यों के CM, दिल्ली व पाण्डुचेरी के CM तथा मण्डमान
व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यापल भी सदस्य के रूप
में शामिल होते हैं।

Note : चार बार बैठक, इस परिषद की हो चुकी थी।

पहली - फरवरी 2015

अन्तिम - जून 2018 (चौथी)

नीति आयोग के कार्य :

1. संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु आई० टी० का अधिकाधिक
उपयोग करना

2. सहकारी संघवाद (Co-operative federalism) की स्थापना।

3. नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों व दलितों का सहयोग
सुनिश्चित करना।

संविधान

Part. 1 संविधान सभा • संविधान सभा का गठन = कैबिनेट मिशन [बुलार्ड 1946]
 • सदस्य = 389
 • सदस्य (293) ब्रिटिश प्रेसीडेंसी

- 92 सदस्य देशी रियासत
- 4 सदस्य कमिशनरी
- चुनाव = प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 1 सदस्य [मनोमथन]
- पार्टियाँ = कांग्रेस, मुस्लिम लीग
- पंथ = मुस्लिम, सिख, सामान्य
- बैठक = 9 दिसम्बर 1946 (प्रथम बैठक)
 [अस्थायी अध्यक्ष = डा० सच्चिदानंद सिन्हा]

Dev Sir

- दूसरी बैठक = 11 दिसम्बर 1946 [स्थायी अध्यक्ष = डा० राजेन्द्र प्रसाद]
- 13 दिसम्बर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव [जवाहर लाल नेहरू]
- 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया।
- संचालन समिति (24 जनवरी 1947) = (राजेन्द्र प्रसाद)
- सलाहकार समिति (25 जनवरी 1947) = (वीरभद्र राव)
- प्रांतीय संचालन समिति = (पटेल जी)
- रियासत एकत्रीकरण समिति = पटेल जी
- संघ्य शक्ति समिति = (J. L. नेहरू)
- प्रारूप समिति/प्रोक्टर कमेटी/ड्राफ्टिंग कमेटी = डा० भीमराव अम्बेडकर [संरचना]
 [6+1]
- समय = 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 7 घण्टे

स्त्रोत $\left\{ \begin{array}{l} \text{आन्तरिक स्त्रोत [भारत शासन अधिनियम 1935]} \rightarrow 200 \text{ अनुच्छेद} \\ \text{बाह्य स्त्रोत} \end{array} \right.$ राज्य/संघ सूची
[न्यायिक व्यवस्था]

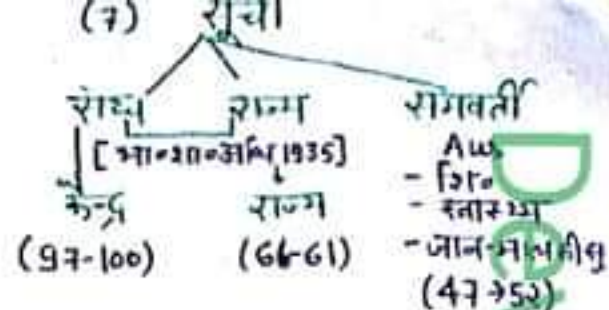
मूल संविधान = अनु: 395	1. ब्रिटेन	संवैधानिक उपक्रम
भाग: 22		संसद, कानून निर्माण, विधि निर्माण
अनुसूचियाँ: 8		संसदीय विशेषाधिकार [अनु. 105], सकल नागरिकता का प्रावधान, मंत्रीमंडल की व्यवस्था
	2. USA	मूल अधिकार (भाग-3), न्यायिक पुनरावलोकन [अनु. 137]
		राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग (अनु. 61)

3. कनाडा शक्ति विभाजन, संव्यात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
4. आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोमन
5. दक्षिण अफ्रीका संविधान संसोधन प्रक्रिया [अनु० 368]
6. फ्रांस समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, गणतंत्र
7. ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन (अनु० 105)
8. जर्मनी अपात उपबंध (352, 356, 360)
9. रूस मौलिक कर्तव्य

संविधान की विशेषताएँ

1. सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान [ब्रिटेन = संविधान अलिखित]
2. नम्य व अनुम्य का भाव उद्दिष्ट होता है
(सरल) (कठोर)
3. सकल नागरिकता का प्रवाधान [ब्रिटेन]
4. मौलिक अधिकार (मूल अधिकार) RA E 2009 [शिक्षा अधिकार] - 1 अप्रैल 2010
5. मौलिक कर्तव्य (मूल कर्तव्य) (6-14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा)
[11] ↓ प्रा०-7 वर्तमान 6 (सम्पत्ति का अधिकार हटा दिया गया = 44वाँ संसों 1978)
6. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
7. सार्वभौमिक गताधिकार [प्रारंभ में मतदान की आयु 21 वर्ष (61वाँ संसों 1989 में 18 वर्ष कर दी गयी)]
8. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका [U.S.A]
9. संसदीय प्रणाली
10. त्रिस्तरीय शासन
11. पंथ निरपेक्ष राज्य (42वाँ संसों 1976)
या
(धर्म निरपेक्ष)

अनुसूचियाँ = 8 + 4 - बाद में जोड़ी गयी।
मूल संविधान



प्रथम :- राज्य का संघ के केन्द्रशासित प्र०

द्वितीय :- वेतन एवं भत्ते

तृतीय :- शपथ ग्रहण

चौथी :- राज्यसभा में सीटों का वितरण - राज्य के केन्द्रशासित प्रदेश

विधानसभा

पांचवी :- SC & ST पर शासन

छठी :- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम - ST & SC के शासन

सातवी :- अनुसूचियाँ

आठवी :- मूल संविधान से कुल = 8
वर्तमान = 22

I - सिंधी

II - नेपाली, गलीपुरी, कांगड़ी

III - S, P, B, M

नवी :- संसोधन वर्ष क्या है विशेषता

9. प्रथम 1951 भूमि सुधार

दसवी 10. 52वाँ 1985 दलबलकानून
प्र० में इसे कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है 2002 से कोर्ट के आदेश पर इसे कोर्ट के पक्ष पर रखा जा सकता है
दलबल चुनाव के पूर्व में होगा

11. 73वाँ 1992-93 पंचायती व्यवस्था 29 विषय

12. 74वाँ 1992-93 नगर पंचायत व्यवस्था 18 विषय

प्रस्तावना (प्रिमेन्वल, उद्देशिका)

- 13 दिसम्बर 1946 - उद्देश्य प्रस्ताव (नैह रुजी)
- 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ।
- इसे संविधान का अंग नहीं माना गया [और इसे अपरिवर्तित रखने की बात कही गयी]
- बकवारी - संघवाद - सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को अपरिवर्तित रखा।
- केरावानंद बनाम भारतीय केरल - उद्देशिका को परिवर्तित किया जा सकता है परंतु उसका मूल ढाँचा परिवर्तित नहीं होगा।

Dev Sir (Master & Mentor) 9455918439

• 26 नवम्बर 1949 प्रस्तावना बनकर तैयार हो गयी।

नोट: 26 नवम्बर 1949 को संविधान का अंगीकृत/आंशिक/भावी/लोगू किया गया।

• 42 वाँ संविधान संशोधन 1976  समाजवाद
पथ निरपेक्षता
अखंडता

• संविधान की कुंजी / आत्मा / जीविका पत्र / परिचय पत्र

नोट: डा० भीमराव अम्बेडकर के अनुसार की आत्मा = अनु 32 (सर्वेधानिक उपचारों)

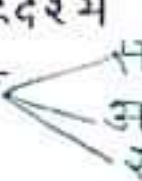
• संविधान में शक्ति हम भारत के लोका - - - 26 Nov 1946

अबाहम लिंकन ने लाइब्ररी = जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा

प्रस्तावना शब्दावली

संविधान के स्तोत्र
|
जनता/ लोग

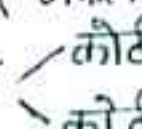
स्वरूप
• सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
• समाजवादी
• पंथ निरपेक्ष
• लोकतंत्र / जनतंत्र
• गणतंत्र / गणराज्य

उद्देश्य
• न्याय  सामाजिक
आर्थिक
राजनीतिक
• स्वतंत्रता
• समता
• व्यक्ति की गरिमा
• राष्ट्र की एकता और अखंडता
• बंधुता

भारत का सर्वेधानिक विकास

I - स्कट
II - अधिनियम

(1) 1773 का रेगुलेशन स्कट

• कम्पनी पर नकेल कर्षण के लिए प्रथम कदम
• 2 संस्थानों  कोर्ट ऑफ प्रीसिडेंट (निवेश)
कोर्ट ऑफ जजस्ट्रेट (आधिकार)

• गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। (बंगाल के)

• प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने [1773-1785]

• वारेन के परिषद में 4 सदस्य थे।

- निर्णय बहुमत के आधार पर होने लगे
- भारत के सर्वोच्च न्यायिक विकास का पहला कदम
- 3 प्रेसिडेन्सी $\left\{ \begin{array}{l} \text{बंगाल (गवर्नर का पद गवर्नर जनरल बदल दिया गया)} \\ \text{मद्रास} \\ \text{महाराष्ट्र} \end{array} \right. \uparrow \text{(अधिकार)}$
- 1774 में न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन कोलकाता में किया गया।
एलिजा एम्पे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने।
(सदस्य 1+3)

(2) 1784 का पिट्सडिंड्या एक्ट

- गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया
- सदस्य संख्या (3+1) हो गयी
- बोर्ड आफ कंट्रोल की स्थापना हुई सदस्य (24)
- गवर्नर जनरल के पास परिषद को रद्द करने की शक्ति प्रदान कर दी गयी।

(3) 1786 का संसोधन एक्ट

- गवर्नर जनरल के पद को सेनापति का द्योधित किया गया।
- कार्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम सेनापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ
- युद्ध नीति व शान्ति पहल के लिए सेनापति का निर्णय साम्य होगा।

(4) 1793 का चार्टर्ड एक्ट

- कम्पनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
- कम्पनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।

(5) 1813 का चार्टर्ड एक्ट

- शिक्षा पर 100000 लाख का व्यय
- वर्ग विशेष को शिक्षा का व्यय
- इसाई मिशनरी का आगमन

(6) वैदिक काल = गुरुकुल (उपनयन संस्कार)

बौद्ध काल = गृहों (बालपीथी)

मध्यकालीन काल = [मदरसें/मस्जिद/कारसी/अरबी]

आधुनिक शिक्षा = मिशनरीज [1+2+3] ← भारत में शिक्षा का आधार

(6) 1833 का चार्टर्ड एक्ट

- शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रेसीडेंसी बनाई गयी।
- सम्प्रदायिकता भड़क गयी।
- भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का गौरव विलिंगडन पैटिक को मिला।
- परिषद में एक विधिव सदस्य और जोड़ा गया $(3 + 1 + 1)$
 - सदस्य
 - गवर्नर जनरल
 - विधिव सदस्य (मैकाले) (सलाहकार)
- पास प्रथा का अंत (1833 से 1843) (लार्ड क्लेनबरो)

(7) 1853 का चार्टर्ड एक्ट

- प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ
- कौर्ट आफ डाइरेक्टर को रद्द कर दिया गया।

II - अधिनियम

1. भारत सरकार अधिनियम (1858)

- भारत के गवर्नर जनरल के पद को पूर्ण सौ समारप कर दिया गया।
- शासन सीधे-से ब्रिटिश क्राउन को दिया गया (महारानी विक्टोरिया)।
- भारत सचिव पद + 15 सदस्य कमेटी का निर्णय ब्रिटेन में हुआ।
- भारत की सचिव संस्था पर तब भारत की निधि पर डाल दिया गया।
भारत सचिव संस्थात्मक = (होम चार्जिस)
- गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया गया।
(प्रथम वायसराय बनने का गौरव = लार्ड कैनिंग)

2. 1861 का अधिनियम • विधानसभा का गठन

- वायसराय को अध्यादेश लागू करने की शक्ति

3. 1892 का अधिनियम

- निवचन पद्धति का प्रारम्भ

4. 1909 का अधिनियम

- विधानमंडल की शक्ति, आकार से वृद्धि
- मुस्लिम आरक्षण
- संप्रदायिकता का जनक

5. 1919 का अधिनियम

- मार्ले मिटो सुधार के नाम से भी जानते हैं] 1909 में मार्ले-मिटो (मुस्लिम आरक्षण का जन्मदाता)
- (भारत सचिव) (वायसराय)
- केन्द्र में द्विस्तरीय व्यवस्था की गयी। < उच्च सदन (60) - राज्य सभा
केन्द्रीय विधान सभा (144) - लोक सभा
- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(भारत सचिव) (वायसराय)
- प्रान्तों में द्वैव शासन
- प्रत्यक्ष चुनाव का प्रारम्भ हुआ।

6. 1935 का भारत शासन अधिनियम

- अखिल भारतीय संघ का निर्माण
- 3 प्रकार की सूचीयों की अवधारणा < संघ
राज्य
समावेश
- संघीय न्यायलय (सुप्रीम कोर्ट)
- संघीय बैंक (RBI)

मूल अधिकार या मौलिक अधिकार

- USA से मौलिक अधिकार लिये गये हैं

मौलिक
: मूल अधिकारों की संख्या = 7

- वर्तमान में मूल अधिकार = 6 [44वाँ संसोधन 1978]

सम्पत्ति का अधिकार [अनु० 31 से हटाकर कर 300A में रखा दिया गया
(कानूनी अधिकार)]

- मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है।
↳ भंगनाकाटी = अधिकार
- मौलिक अधिकार [12-35]

वर्तमान मौलिक अधिकार

1. समानता / समता का अधिकार [Art 14-18]
2. स्वतंत्रता का अधिकार [19-22]
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार [23-24]
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [25-28]
5. संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार [29-30]
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार [32]

1. समानता / समता का अधिकार [14-18]

अनु 14 [विधि के समक्ष समानता]

अनु 15 [धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर समानता]

अनु 16 [लोक नियोजन में समानता] - सरकारी नौकरी में समानता

अनु 17 [अप अश्वस्वयता का अंत]

अनु 18 [उपाधियों का अंत]

2. स्वतंत्रता का अधिकार [19-22]

अनु 19 [अभिव्यक्ति की आजादी]

A = बोलने का आजादी

B = शान्तिपूर्ण ढंग से रोक होने की आजादी

C = सभा बनाने की स्वतंत्रता

D = भारत में आवा-गमन की स्वतंत्रता

E = भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता

F = भारत में अजीविका की स्वतंत्रता

J.S K (अपवाद)

अनु 20 [अपराध दोष सिद्ध हो जाने पर संरक्षण]

1. अपराध के समय कानून के द्वारा सजा दी जायेगी

2. खुद के विरुद्ध गवाही जबरदस्ती नहीं दलाई जायेगी

3. एक अपराध के लिए एक ही दण्ड

अनु. 21 [प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता] (जीवन जीने का अधिकार)

21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
(86वां संविधान संशोधन 2002)

सहात्मा गांधी { बेसिक शिक्षा का अननक
गुनियादी शिक्षा
वर्धा शिक्षा सम्मेलन (7-14 वर्ष के बच्चों को
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा)

RTE (2009) { प्राथमिक विद्यालय = 1km के अंदर
माध्यमिक विद्यालय = 3km के अंदर

अनु. 22 [गिरफ्तारी के सम्बन्ध संरक्षण]

1. कारण पूछने का अधिकार
2. 24 घण्टे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना होगा
3. उसे सनपसद वकील करने की इत

3. शौच के तिरुप अधिकार [23-24]

अनु. 23 मानव व्यापार पर प्रतिबंध, बालातन्त्रम, बंधुआ मजदूरी

अनु. 24 14 वर्ष से कम के बालक व बालिकाओं के काम करने पर प्रतिबंध
[बालातन्त्रम पर प्रतिबंध]

4. धार्मिक स्वतंत्रता [25-28]

अनु. 25 धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, आचरण करने

अनु. 26 धार्मिक प्रबंधन

अनु. 27 धार्मिक सम्पोषण

अनु. 28 धार्मिक शिक्षा व उपासना पद्धति

5. संस्कृति एवं शिक्षा सम्बंधित अधिकार [29-30]

नोट: यह अधिकार वैजत्य अल्पसंख्यकों (पारसी, सिख, जैन, मुस्लिम)

अनु. 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण

अनु. 30 अल्पसंख्यकों को विशेष संस्थानों में इत

6. सैवधानिक उपचारों का अधिकार [32]

अनु 32 • डा० भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनु 22 संविधान की आत्मा कहा गया।

- उपरोक्त 5 अधिकारों की रक्षा के लिए इसे संविधान का डा० भी कहा गया।
- यह मानवाधिकारों के हनन की रोकता है।
- पाँच प्रकार की writ दारिद्व की जा सकती है अनु 32-5C
अनु 226 - HC

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण

2. परमादेश [सरकारी नौकरीयों से लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें]

3. प्रतिशेष उच्चकोर्ट - निम्नकोर्ट

4. उत्प्रेषण उच्च न्यायालय - निम्न न्यायालय (HC → DC)

* 5. अधिकार प्रवृद्ध योग्यता परीक्षण

अनु 33 सशस्त्र सीमा बल/IB के मौलिक अधिकार

अनु 34 मारलि ला [वायुसेना]

अनु 35 संसद कानूनी अधिकार

साहचर्यपूर्ण बिन्दुः

- राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनु 21 और 22 को निरस्त नहीं किया जा सकता है
- केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार (विदेशियों को नहीं) 15, 16, 19, 29, 30
- भारतीयों तथा विदेशियों दोनों का प्राप्त अधिकार (14, 17, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28)

अनु 12 हिंसा के खिलाफ वाक अभिव्यक्ति का अधिकार

अनु 13 राज्यों में अंतर विरोध होने पर केन्द्र सरकार से सहायता का अधिकार

राज्य के नीति निर्देशकत्व

संविधान सभा के सलाहकार (वी स्नराव) $\left\{ \begin{array}{l} \text{जो तुरंत लागू हो [न्यायालय में पर्वतनीय]} \\ \text{(मूल अधिकार) हो} \end{array} \right.$

जो धीरे-धीरे लागू किया जाय [न्यायालय में पर्वतनीय नहीं होगा।]
[राज्य के नीति निर्देशकत्व]

• यह तत्व एक प्रकार का सुझाव / सुवर्णत्व / यह तत्व सरकार को आंचने परस्ने का मार्ग दर्शन करता है (राज्य सरकार)

• भाग-4 [36-51]

उद्देश्य: लोक कल्याणकारी योजनाएँ लाना
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय

महत्व: राज्य को पथभ्रष्ट होने से रोकता
आयरलेड से लिये गए हैं

अनु 36 राज्य की परिभाषा

अनु 37 न्यायालय में पर्वतनीय नहीं

अनु 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय

अनु 39 संसाधनों का उचित वितरण

अनु A(3) समान अवसर पर न्याय [42वें संसों 1976]

अनु 40 संचायत [73वाँ संसों 1993]

अनु 41 कुछ विशेष दशाओं में रोजगार पाने का अधिकार

अनु 42 रोजगार दशाएँ मानवीय हो

अनु 43 मजदूरी निर्वाह मजदूरी

अनु 44 समान नागरिक संहिता [विवाह, तलाक, गोद लेना]
[व्यक्तिगत विषय]
(एक देश एक कानून)

अनु 45 मूल संविधान में 6-14 वर्ष के बच्चों का निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
[86वाँ संसों 2002]

↓
अनु 21A = शिक्षा का अधिकार

वर्तमान में धारा 45 में 6 वर्ष से कम आय के बच्चों की शिक्षा का
प्रारम्भ है (आंगनवाड़ी)

अनु 46 ST/SC की शिक्षा पर विशेष प्रावधान [हितों की रक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय]

अनु 47 संधि निर्धारण, घोषणा, स्वास्थ

अनु 48 कृषि, पशुपालन, दुधारु पशु

अनु 48A पर्यावरण संरक्षण [42वें संसो 1976] *

अनु 49 राष्ट्रीय स्मारक, क्षेत्र, स्थल का संरक्षण

अनु 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण

अनु 51 अंतराष्ट्रीय शान्ति सहयोग

नोट • कैशवानंद भारती बनाम केरल में SC ने मौलिक अधिकार का दर्जा नीति निर्देशक तत्व से ऊपर बताया।

• 1976 42 वे संसों में संसद ने नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठ बताया।

• मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में न्यायालय दोनों के माध्यम विवस्थित किया और दोनों का सामान्य (समान) बताया।

सहस्रपूर्ण अनुच्छेद [PART 1]

भाग 1 [1-4]

अनु 1 संधि

अनु 2 राज्यों का निर्माण

अनु 3 नाम, क्षेत्र निर्माण का प्रावधान

भाग 2 [5-11] नागरिकता का प्रावधान

भाग 3 [12-35] मूल अधिकार

भाग 4 [36-51] नीति निर्देशक तत्व

भाग 4(A) मौलिक कर्तव्य [42वें संसों के द्वारा जोड़े गए]

राष्ट्रपति अनु 52, 53, 54

अनु 52 पद

अनु 53 शक्ति कार्य

अनु 54 निर्वाचन [सकल संक्रमणीय मत प्रणालि]

अनु 61 महाभियोग

अनु 72 क्षमादान की शक्ति-

अनु 85 लोकसभा का विघटन

Dev Sir (Master & Mentor) 9455918439

अनु 123 अध्यादेश की शक्ति

अनु 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को स्थाई दे सकता है

उपराष्ट्रपति

अनु 63 पदेन संविधान में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा।

अनु 64 राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा।

प्रधानमंत्री

अनु 74 मंत्री परिषद का गठन

अनु 75 एक मुरिमा - प्रधानमंत्री

संसद

अनु 79 संसद

अनु 80 राज्यसभा

अनु 81 लोकसभा

अनु 100 सात टर्ई होने पर [अध्यक्ष का सात निर्णयित होगा]

अनु 105 संसद का विरोधाधिकार

अनु 108 संयुक्त अधिवेशन

अनु 110 धन विधेयक जांच (लोकसभा अध्यक्ष)

अनु 112 बजट

अनु 116 लेखा अनुदान (लेखानुदान - मंत्री बजट)

अनु 117 वित्त विधेयक

सर्वोच्च न्यायालय